न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(20)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 144–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2016 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 51/पुनर्विलोकन/2014–15.

ग्राम पंचायत मो0 बड़ोदिया द्वारा सरपंच
जगदीश पिता मांगीलाल
सरपंच ग्राम पंचायत मो0 बड़ोदिया
जिला शाजापुर निवासी ग्राम मो0 बड़ोदिया ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. राज्य शासन ....अनावेदक

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 28–9–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर द्वारा दिये गये प्रस्ताव दिनांक 17–9–2015 को मान्य कर राजस्व प्रकरण कमांक 2/अ–66/2014–15 में अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–2015 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1–12–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उभय पक्ष को सुनकर सकारण पुनर्विलोकन की अनुमति सम्बन्धी आदेश हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 31–12–2016 को आदेश पारित कर प्रकरण

कमांक 2/अ–66/2014–15 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–2015 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि दिनांक 8–12–2016 पेशी पर दो तरह से आदेशिका लिखी गई है, प्रथम बार जो आदेशिका लिखी गई है, उसमें आगामी पेशी दिनांक 31–12–2016 का कोई उल्लेख नहीं है एवं दूसरी बार जो आदेशिका लिखी गई है, उसमें पेशी दिनांक 31–12–2016 दर्ज है, जिस पर आवेदक व उसके अभिभाषक को पेशी नोट नहीं कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 8–12–2016 को प्रकरण सुनवाई में लिया ही नहीं गया है और दिनांक 31–12–2016 को ही आदेशिका लिखी गई है, जो कि विधि विपरीत कार्यवाही है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अन्तिम प्रकृति का था, जिसे अपील में चुनौती दी जा सकती है और अपीलीय आदेश के सम्बन्ध में शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिस पर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों क समर्थन में 1963 आर.एन. 607, 1986 आर.एन. 150, 1967 आर.एन. 203, 1972 आर.एन. 84, 1986 आर.एन. 175, 2009 (14) एस.सी.सी. 663, 2001 आर.एन. 290, 2005 आर.एन. 66, 2002 आर.एन. 212, 2004 आर.एन. 451, 1987 आर.एन. 150, 2009 आर.एन. 187 2002 आर.एन. 334, 1988 आर.एन. 265, 1979 आर.एन. 156 एवं 561, 2011 आर.एन. 298, 2002 आर.एन. 180, 1991 आर.एन. 171, 1990 आर.एन. 214, 1975 आर.एन. 67, 1982 आर.एन. 101, 1997 आर.एन. 224 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक शासन की ओर विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनर्विलोकन की अनुमति देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1–12–2015 का पालन करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर सकारण पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम दृष्टया ही आबादी के स्थान पर व्यवसायिक पट्टे बाटे जाना अभिलेख से स्पष्ट दृष्टिगोचर है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त अभी उभय पक्ष को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है, अतः वे वहीं अपना पक्ष रखें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर